रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-06052026-272221
SG-DL-E-06052026-272221

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 116] दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 27
No. 116] DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948 [N. C. T. D. No. 27

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह (पुलिस–।।) विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

फा. सं. गृह–बी/49/2025–गृह –।।/896–904.—जबकि; सरकार के संज्ञान में आया है कि पुस्तक "इस्लामिक एथिक्स ऑफ वारफेयर" व्यक्तियों, विशेष रूप से एक विशिष्ट समुदाय को, सशस्त्र विद्रोह की ओर उकसाती है तथा कट्टरपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देती है जो सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। साहित्य के पठन और विश्वसनीय खुफिया जानकारी के आधार पर उपलब्ध साक्ष्य निर्विवाद रूप से संकेत करते हैं कि हिंसा की वकालत करने के लिए धार्मिक ग्रंथों के दुरुपयोग के साथ–साथ भड़काऊ सामग्री हेतु तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है।

यह पुस्तक न केवल अन्य धर्मों के खिलाफ युद्ध की वकालत करके एकेश्वरवाद की श्रेष्ठता को बढ़ावा देती है और तर्क देती है, बल्कि विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच शत्रुता, घृणा या दुर्भावना पैदा करने वाले अन्य धार्मिक समूहों के विश्वासों पर सक्रिय रूप से हमला करती है। कुछ माध्यक जिनके द्वारा इस पुस्तक ने लोगों के कट्टरपंथीकरण में योगदान दिया है, उनमें धार्मिक कट्टरता द्वारा पवित्र पुस्तक कुरान के मूल छंदों का विकृत होना, अलगाव को बढ़ावा देना, हिंसा और आतंकवाद आदि का मार्ग शामिल हैं; तथा

जबकि; उपरोक्त संदर्भ में, कथित पुस्तक "इस्लामिक एथिक्स ऑफ वारफेयर" की पहचान की गई है जो देश में धार्मिक समूहों के बीच वैमनस्य या शत्रुता या घृणा या दुर्भावना की भावनाओं का कारण बनती है और इसे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 98 के अंतर्गत 'जब्त' घोषित करने की आवश्यकता है; तथा

जबकि; कथित पुस्तक "इस्लामिक एथिक्स ऑफ वारफेयर" को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता या सुरक्षा को खतरे में डालने वाली असत्य या भ्रामक जानकारी को बढ़ावा देने या प्रकाशित करने के लिए पाया गया है, जिससे भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196, 197(1)(ग) तथा 197(1)(घ) के प्रावधानों को आकर्षित किया गया है।

अब, इसलिए, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा कथित पुस्तक इस्लामिक एथिक्स ऑफ वारफेयर के प्रकाशन और उनकी प्रतियों या अन्य दस्तावेजों को जब्त करने की घोषणा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
रमेश कुमार, उप–सचिव (गृह)

HOME (POLICE-II) DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 30th April, 2026

F. No. B/49/2025-Home-II/896-904.— Whereas; it has come to the notice of the Government, that the book *"Islamic Ethics of Warfare"* incites individuals, particularly from a specific community, toward armed rebellion and promote radical ideologies that threaten public safety and national security. Available evidence based on reading of the literature and credible intelligence unflinchingly indicate that the inflammatory content, coupled with the misuse of religious texts to advocate violence, necessitates immediate action.

This book not only promotes and argues for the superiority of monotheism by advocating warfare against other religions, but actively attacking the beliefs of other religious groups causing enmity, hatred, or ill-will between different religious groups. Some of the means by which this book has contributed to the radicalization of people include distortion of original verses of the Holy Book Quran by religious radicalization, promotion of alienation, pathway to violence and terrorism etc; and

Whereas; in the above context, the *alleged book "Islamic Ethics of Warfare"* has been identified that causing disharmony or feelings of enmity or hatred or ill-will between religious groups in the country and need to be declared as forfeited' in terms of Section 98 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023; and

Whereas; *alleged book "Islamic Ethics of Warfare"* has been found to promote or publishing false or misleading information jeopardizing the sovereignty, unity and integrity or security of India, thereby, attracting the provisions of sections *196, 197(1)(c) & 197(1)(d)* of The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 98 of The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, the Government of **National Capital Territory of Delhi** hereby declares publication of *alleged book "Islamic Ethics of Warfare"* and their copies or other documents to be forfeited to the Government.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,
RAMESH KUMAR, Dy. Secy. (HOME)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.05.06 10:19:09 +05'30'